निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न0 69 /प्रा0पत्र/20

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,,सिविल लाईनस नयापुरा कोटा, ...प्रार्थी

बनाम

01. श्रीमति अफसाना बैगम पत्नि आरिफ मोहम्मद
पताः– राडी के बालाजी रोड़,झालावाड़ (ऋणी व बन्धककर्ता)

02. श्रीमति बिस्मिल्लाह बेगम पत्नि स्व0 नन्ने खांन
पताः– मौहल्ला गुडपुरा,बस स्टेण्ड,झालावाड़ (जमानती व बन्धककर्ता)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002

–: निर्णय :– दिनांकः 22.10.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक/कम्पनी से दिनांक 15.01.2010 को राशि 20,37,528/– का ऋण लिया गया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अफसाना बैगम की चन्द्रावती ग्रोथ सेन्टर,झालरापाटन,झालावाड़ स्थित अपनी अचल सम्पत्ति(भूमि,भवन मय मशीनरी) प्लाट न0 जी–1/341 जिसका माप 1200 वर्ग मीटर है तथा श्रीमति बिस्मिल्लाह बेगम का मोहल्ला गुडपुरा बस स्टेण्ड झालावाड़ स्थित आवासीय मकान जिसमें भूमि,भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षेत्रफल 199.74 वर्ग मीटर है को प्रार्थी के पक्ष में रहन किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नही चुकाने पर दिनांक 31.03.2019 को अकियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.02.2020 को मांग नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 09,15,377/– रूपये दिनांक 07.02.2020 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नही है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नही करने पर दिनांक 31.03.2019 को व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरूद्ध रूपये 09,15,377/– रूपये दिनांक 07.02.2020 तक शेष हैं तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है । ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नही किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नही किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहतं जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है– बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अतः उक्तानुसार प्रा0पत्र के सलंग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत अफसाना बैगम की चन्द्रावती ग्रोथ सेन्टर,झालरापाटन,झालावाड़ स्थित अचल सम्पत्ति(भूमि,भवन मय मशीनरी) प्लाट न0 जी–1/341 जिसका माप 1200 वर्ग मीटर है जिसरो चतुर्थ सीमांएः– उत्तर में रोड़,दक्षिण में प्लाट न0 जी–1/340,पूर्व में प्लॉट न0 जी–1/310,पश्चिम में रोड तथा श्रीमति बिस्मिल्लाह बेगम की मोहल्ला गुडपुरा बस स्टेण्ड झालावाड़ स्थित आवासीय मकान जिसमें भूमि,भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षेत्रफल 199.74 वर्ग मीटर है जिसकी चतुर्थ सीमांएः– उत्तर में मकान विराना पागलखाना, दक्षिण में आम रास्ता,पूर्व में आम रास्ता,पश्चिम में कबू ठेकेदार,नन्दलाल कुम्हार का मकान है। उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,